तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में
1/2/24	वकील फरीकान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 14/3/24 को पेश हो। रीडर	
14/3/24	वकील फरीकान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 4-4-24 को पेश हो। रीडर	
4/4/24	वकील फरीकान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनांक दिनांक 8/4/24 को पेश हो। रीडर	
08.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से श्री हवासिंह एडवोकेट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी ने स्थगन पर सुनवाई के लिए निवेदन किया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों की तस्दीक करते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। भूमि संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। जिसे बिना विभाजन के किसी विशेष भू-भाग का विक्रय/बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ताफैसला [illegible] किया जावे। अप्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस के दौरान बताया कि अप्रार्थीगण सहखातेदार है प्रार्थीगण ने एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जिसके कारण उनके खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न हो रही है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया	

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जा सकता। प्रथम दृष्टया का मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है न कि प्रार्थीगण के पक्ष में। यदि स्थगन आदेश प्रभावी रहा तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 25/10/2019 को वेकेट कर प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित भूमि सह खातेदारी काश्त की भूमि है इसलिए किसी सह खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। वकील प्रार्थी भी बहस के दौरान भी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा तथा एक पक्षीय स्थगन आदेश काफी समय से प्रभावी रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25/10/2019 को वेकेट किया जाना न्यायोचित पाता है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली मूल वाद के संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	